Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **निम्बाहेडा**

कन्हैयालाल पुत्र प्रभुलाल जी मेघवाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा, किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 43 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगें हुए सभी पडोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा कोटडीखुर्द पटवार हल्का कोटडीकलां तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 18 की आराजी नंबर 250 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 251 रकबा 2.0200 हैक्टयेर, आराजी नंबर 303 रकबा 0.2100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 304 रकबा 0.4800 हैक्टयेर, आराजी नंबर 305 रकबा 0.0900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 306 रकबा 0.8200 हैक्टयेर, आराजी नंबर 312 रकबा 0.8500 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थगढ़ी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा	No-objection

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner